बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– BRRDA(HQ)-MMGSY-142/18 249 /पटना, दिनांक– 8.3.19

प्रेषक,

मो० सोहैल, भा०प्र०से०
अपर सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–103–ग्राम विकास–उप शीर्ष–0113 (सामान्य) अन्तर्गत प्रत्येक योजना के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु सूची के स्तम्भ–9 में अंकित राशि का पथवार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष **2018–19** (सामान्य) के लिए कार्य प्रमंडल, **त्रिवेणीगंज** के अधीन **03 (तीन)** पथ योजनाओं के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य सहित निम्न तालिका के स्तम्भ–9 में अंकित राशि का पथवार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

Sl No.	Division	Block	Category	Name of Road	Priority no of core network	Length (In km)	Total Population Served	Technical Approval Amount (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Triveniganj	Chhatapur	GEN	Singh Tola Bhawanipur Tadha (Ram Tola) to Jit Mahan Sthan Tak	50	4.500	2400	352.050
2	Triveniganj	Chhatapur	GEN	Balua Thana ke Nikat to Balua Jadia Se Jay Krishna Shah ke Ghar Tak	49	2.400	1250	198.320
3	Triveniganj	Chhatapur	GEN	Murliganj Koshi Nahar to Ouraha Sima Tak via Gareriya Tak	51	3.000	1700	234.190
			Total			**9.900**	**5350**	**784.560**

2. विभागीय सचिव द्वारा दिनांक **11.02.2019** को निम्न शर्तों के साथ इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है:–

(क) **इन** योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष, अर्थात वर्ष **2018–19** एवं वर्ष **2019–20** में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

(ख) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **त्रिवेणीगंज** योजना के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) स्वीकृत योजना की प्रविष्टि राज्य कोर नेटवर्क के मानचित्र पर भी कर लिया जायेगा।

(घ) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **त्रिवेणीगंज** सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।

3. कार्य ई–निविदा के माध्यम से Standard Bidding Document के आधार पर कराया जायेगा।

4. इस योजना के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या– BRRDA(HQ)-MMGSY-44/2013 के पृष्ठ–74/टि0 पर प्राप्त है।

5. सारणी में अंकित उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–**11.02.2019** को संचिका संख्या– BRRDA(HQ)-MMGSY-**142/18** के पृष्ठ–**04**/टि0 पर अनुमोदन प्राप्त है।

6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

(18)

7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद् की संभाव्ययता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. (क) ब्राडा के लिए निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।

(ख) कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/ विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें।

(ग) वित्त विभाग की संकल्प संख्या एम–4–53/2007–3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 में निहित निदेशो का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।

(घ) यह राशि उसी मद में खर्च की जाएगी जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

(ड.) प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

(च) योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकार भी उत्तरदायी माने जाएंगे।

(छ) संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

(ज) उद्व्यय अथवा बजट में उपबंध नहीं रहने की स्थिति में राशि की विमुक्ति उद्व्यय/बजट में उपबंध क्रमशः योजना एवं विकास विभाग, वित्त विभाग से प्राप्त होने के उपरांत ही की जा सकेगी।

9. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–BRRDA(HQ)-MMGSY-**142/18** पृष्ठ संख्या–**08**/टि0 पर दिनांक–**07.03.2019** को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक: BRRDA(HQ)-MMGSY-**142/18** 249 /पटना, दिनांक 8/3/2019

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, **कोशी (सहरसा)**/जिला पदाधिकारी, **सुपौल**/उप विकास आयुक्त, **सुपौल**/ अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता–**2**, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/मुख्य अभियंता–4, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, **मधेपुरा**/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, **त्रिवेणीगंज** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Manager, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

8/3/19